No. Z-20025/7/2019-Adm.I

Government of India/Bharat Sarkar

Ministry of Labour & Employment/Shram Aur Rozgar Mantralaya

\*\*\*\*\*

New Delhi, dated 14 May, 2019

To

- 1. All Ministries / Department of the Government of India
- 2. All State Governments.
- 3. Union Public Service Commission, New Delhi.
- Subject: Filling up of one post of Manager Grade-II (Group B) in the Level 6 of pay matrix (Rs. 35,400 - 1,12,400) in the Departmental Canteen, Ministry of Labour & Employment (Main Sectt.) by composite method [Deputation (including short term contract) plus promotion].

#### Sir,

I am directed to say that it is proposed to fill up one post of Manager Grade-II (Group B) in the Level 6 of pay matrix (Rs. 35,400 - 1,12,400) in the Departmental Canteen, Ministry of Labour & Employment (Main Secretariat) by composite method [Deputation (including short term contract) plus promotion] from amongst the officers of the Central or State Government or Union Territory Administration or Public Sector Undertakings or Autonomous and Statutory bodies:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
  - (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 5 (Rs. 29,200 - Rs. 92,300) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
  - (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 4 (Rs. 25,500 - Rs. 81,100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience : -
  - (i) Bachelor's degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public administration from a recognized University or Institute; and
  - (ii) Two years' experience in Accounts work in any Government office or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory organization.

2. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputations shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. The Assistant Manager-cum-Store Keeper in the Level 4 (Rs. 25,500-81,100) in the Pay Matrix with ten years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled up by promotion.

3. The vacancy is at the Departmental Canteen, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi. 4. The deputation will be initially for a period of three years, but is extendable as per DoP&T's guidelines in this regard. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department in the Central Government shall normally not exceed three years. The appointment will not bestow on the appointee on deputation any claim for regular appointment.

5. The deputation will be subject to various circulars of DoP&T on the subject and especially the terms and conditions of deputation as stipulated in DoP&T's OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay.II) dated 17.06.2010, and subsequent amendments made thereon.

6. With a view to facilitate scrutiny about eligibility, the candidates from Public Undertakings should clearly indicate whether the pay scale held by them is on the Central D.A. Pattern or the Industrial D.A. Pattern.

7. It is requested that the applications in the prescribed proforma (enclosed) in respect of the officers who could be spared in the event of their selection may be forwarded to the Under Secretary to the Government of India (Administration), Ministry of Labour and Employment, Room No. 111 (Cabin), Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001 within 60 days from the date of advertisement in the Employment News.

8. The applications must be forwarded through proper channel and must accompany the following documents / information:-

- (i) A certificate that no disciplinary proceedings / vigilance case is either pending or contemplated and a certificate to the effect that no major / minor penalties were imposed on him / them during the last 10 years;
- (ii) Complete and upto date APARs (in original / attested copies) from 2013-14 to 2017-18; and
- (iii) Integrity Certificate.

9. Applications received incomplete and / or after the last date and otherwise without the above documents / information will not be entertained. The candidates, who apply for the post, will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

(DEEPAK DAN BARN

Under Secretary to the Govt. of India Tel. No. 23766320

Copy to:-

- 1. All attached / subordinate offices under the Ministry of Labour and Employment.
- 2. All Autonomous organisations under the Ministry of Labour and Employment.
- NIC, M/o Labour and Employment for uploading the Circular in the Ministry's website for sixty days from the date of publication of this Circular in the Employment News).
- 4. Notice Boards.

#### APPLICATION FOR THE POST OF MANAGER GRADE-II (GROUP B)

<u>Self-attested</u> passport size photograph

- Name of applicant with designation and complete office address (in block letters), e-mail and telephone No.
- 2. Father's Name
- 3. Residential Address with phone number

4. Permanent address

- 5. Date of Birth (in Christian era)
- 6. Whether belongs to SC / ST / OBC
- 7. Date of retirement under Central / State Government rules

8. Educational gualifications

 Post held on regular (i.e. substantive) basis and the date from which held with grade pay / Pay Level in Pay Matrix

10. Present Pay

...contd...

 Details of Employment of last 10 years in Chronological order. Enclose a separate sheet, duly authenticated under your signature.

Name of office / organization where employed	Post held	From	То	Basic pay	Grade Pay / Level in Pay matrix	Major duties
1.	2.	3.	4.	5:	6.	7.
				1		

- 12. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or temporary or permanent
- In case the present employment is held on Deputation / contract basis, please state
  - a) Date of initial appointment
  - b) Period of appointment on deputation / contract
  - Name of parent office / organisation to which you belong
- 14. Training / courses attended

15. Additional details about your present employment Please state whether working under

- a) Central Government
- b) State Government
- c) Autonomous Organizations
- d) Central Public Sector Undertaking
- e) State Public Sector Undertaking

 Additional information, if any, which applicant may like to mention in support of his / her suitability for the post vis-a-viz the "duties" mentioned in Annexure-II. Enclosed a separate sheet, if required

Date: \_\_\_\_\_

Mobile No.

(SIGNATURE)

# CERTIFICATE TO BE RECORDED BY THE HEAD OF OFFICE / OFFICER NOT BELOW THE RANK OF UNDER SECRETARY IN GOI WHILE FORWARDING THE APPLICATION

- 1. Certified that the particulars furnished by the applicant are true and have been verified from the service records.
- 2. The applicant, if selected, will be relieved immediately.
- 3. Attested copies of ACR / APAR for the last five years are enclosed.
- 4. The record of the service of the official has been carefully scrutinized and it is certified that there is no doubt about his / her integrity.
- 5. It is certified that no disciplinary / vigilance case is either pending or contemplated against the applicant and he / she is clear from vigilance angle.
- 6. It is certified that no major / minor penalty has been imposed or contemplated on him / her during the last 10 years.

Signature	
Name	
Designation	
Tele No	

Date:

Place:

Official seal

Note: All Terms and Conditions of deputation will be followed as per DoP&T's OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay. II) dated 17.06.2010 and its amendment issued from time to time.

### संख्या जैड-20025/7/2019 प्रशा.-I भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

#### नई दिल्ली, दिनांक 2

2019

सेवा में,

- 1. भारत सरकार सभी मंत्रालय/अन्भाग
- 2. सभी राज्य सरकारें
- 3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

विषय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) की विभागीय कैंटीन में मिश्रित पद्धति [प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) + पदोन्नति] द्वारा वेतन मैट्रिक के स्तर 6 में (35,400-1,12,400 रुपये) में प्रबंधक ग्रेड-॥ (समूह ख) का एक पद भरना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त एवं सांविधिक निकायों के अधिकारियों में से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) की विभागीय कैंटीन में मिश्रित पद्धति [प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) + पदोन्नति] द्वारा वेतन मैट्रिक के स्तर 6 में (35,400-1,12,400 रुपये) में प्रबंधक ग्रेड-II (समूह ख) का एक पद भरना प्रस्तावित है:

- (क) (i) अधिकारी जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर समनुरूप पदधारी हैं; अथवा
  - (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक स्तर 5 (29,200- 92,300 रुपये) में या समनुरुप नियमित आधार पर इस ग्रेड में अपनी नियुक्ति के पश्चात 6 वर्षों की सेवा की है; अथवा
  - (iii) जिन्होंने मूल संबर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक स्तर 4 (25,500-92,300 रुपये) में या समनुरूप नियमित आधार पर इस ग्रेड में अपनी नियुक्ति के पश्चात 10 वर्षों की सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अन्भव हैं:-
  - मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य या व्यवसाय अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन लोक प्रशासन में स्नातक की डिग्री; और
  - (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक संगठन में लेखा कार्य में दो वर्षों का अनुभव

2. फिडर वर्ग में जो विभागीय अधिकारी पदोल्नति की सीधी लाइन में हैं वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। उसी या अन्य संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के तुरन्त पहले किसी अन्य बाहय संवर्ग में धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तीन वर्ष से अध्यि नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा इस नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु की सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तरीस को जिंदी मिंदी को उठि वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा इस नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु की सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तरीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेतन मैट्रिक में स्तर 4 (25,500-81,100) में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक प्रबंधक-सह-स्टोरकीपर पर भी बाहरी आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ पद माना जाएगा।

4. यह प्रतिनियुक्ति शुरू में 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी, परंतु इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तार किया जा सकता है। केंद्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग ने इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व रखी गई संवर्ग-बाह्रय किसी पद पर नियुक्ति की अवधि सहित नियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को नियमित नियुक्ति के लिए किसी दावे का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. यह प्रतिनियुक्ति इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न परिपत्रों तथा विशेष रूप से दिनांक 17.06.2010 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 6/8/2009-स्था.(वेतन-II) तथा इसमें किए गए पश्चातवर्ती संशोधनों में यथाउल्लिखित प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अध्यधीन होगी।

6. पात्रता के बारे में छंटनी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए कि उनका वेतनमान केंद्रीय डी.ए. की तर्ज पर है अथवा औद्योगिक डी.ए. की तर्ज पर।

7. अनुरोध है कि चयन होने की स्थिति में जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा सके, उनके संबंध में निर्धारित प्रफॉर्मा (संलग्न) में आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार (प्रशा.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा सं. 111 (केबिन), श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को रोजगार समाचार में विज्ञापन की तारीख के 60 दिनों के अंदर अग्रेषित किए जाएं।

- आवेदन अनिवार्य रूप से उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाएं तथा उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए:-
  - (i) एक प्रमाणपत्र की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई/सतर्कता मामला ना ही लंबित है और ना ही चलाया जाना है तथा इस बात का भी प्रमाणपत्र कि गत 10 वर्षों के दौरान उनके ऊपर कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गई थी।
  - (ii) 2013-14 से 2017-18 तक की पूर्ण एवं अद्यतन एपीएआर (मूल/सत्यापित प्रतियां); और
  - (iii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।

9. अपूर्ण रूप से और/अथवा अंतिम तारीख के पश्चात तथा उपर्युक्त दस्तावेजों/सूचना के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

> (दीपक दान बर्नवाल) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष सं.: 23766320

प्रतिलिपि :-

1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

2. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन सभी स्वायत्त संगठन

एनआईसी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को रोजगार समाचार में इस परिपत्र के प्रकाशन की तारीख से
60 दिनों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने हेत्

4. नोटिस बोर्ड

<u>अनुबंध</u>

# <u>प्रबंधक ग्रेड -II (वर्ग ख) के पद के लिए आवेदन पत्र</u>

×Ţ

<u>पास्पोर्ट आकार के</u> स्वःहस्ताक्षरित फोटो

1.	आवेदक के नाम के साथ-साथ पद और कार्यालय का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	я
2.	पिता का नाम	
3.	आवास का पता एवं दूरभाष	
4.	स्थायी पता	
5.	जन्म तिथि (ग्रेगेरियन)	
6.	क्या अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.जा. से संबंधित हैं	
7.	केंद्रीय/राज्य सरकार नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	
8.	शैक्षिक योग्यताएं	
9.	स्थायी आधार पर (यानी मूल), धारित पद और किस दिनांक से कौन से वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन/वेतन स्तर में धारित हैं।	
10.	वर्तमान वेतन	
11.	पिछले 10 वर्षों में कालक्रम में रोजगार विवरण। इसके लिए एक अलग प्रति संलग्न करें अपने हस्ताक्षर - से अधिप्रमाणित करें।	

ŝ

1. 1. 2.	लय/संगठन के नाम नियोजित थे/हैं	पद	कब से	कब तक	मूल वेतन	ग्रेड वेतन/ वेतन मैट्रिक्स स्तर	मुख्य कार्य
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	वर्तमान रोजगार की स्थायी	प्रकृति जैसे	तदर्थ, अस्थ	ायी या			
13.	यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति /अनुबंध हैं, तो कृपया उल्लेख करें क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख ख) प्रतिनियुक्ति / अनुबंध में नियुक्ति की अवधि ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम जहां से आप हैं।			<u>ि</u>			
14.	प्रशिक्षण / पाठ्यक्रम, जिसमें भाग लिया है			r			
15.	अपने वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण, कृपया उल्लेख करें क्या आप निम्नलिखित में कार्य करते हैं क) केंद्रीय सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम						
6.	ङ) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम आवेदक इस पद की उपयुक्तता और अनुबंध -।। में उल्लिखित कार्यों के समर्थन में उल्लिखित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना देना चाहता है अपेक्षित होने पर अलग सीट लगाएं।			जाने			

(हस्ताक्षर)

टिनांक	
मोबाईल नम्बर	

## आवेदन अग्रेषित करते समय कार्यालय प्रमुख/ भारत सरकार में न्यूनतम अवर सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हैं और सेवा रिकार्ड से सत्यापित किए गए हैं।
- 2. आवेदक, यदि चयनित होता है, तो उसे तुरंत कार्यमुक्त किया जाएगा।
- 3. पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं।
- अधिकारी का सेवा रिकार्ड ध्यानपूर्वक संवीक्षित किया गया है तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि उसकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता मामला लंबित अथवा अपेक्षित नहीं है तथा वह सतर्कता दृष्टिकोण से स्पष्ट है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ा/छोटा दंड नहीं लगाया गया है या अपेक्षित है।

हस्ताक्षर-----नाम------पद------द्ररभाष सं.------

दिनांक: स्थान:

सरकारी मुहर

नोट: प्रतिनियुक्ति की सभी नियम और शर्ते का अनुसरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा.सं.6.8.2009-स्थापना (वेतन II) तथा समय-समय पर जारी इसके संशोधनों के अन्सार किया जाएगा।

